(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2058–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–5–2016 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील राजपुर जिला बडवानी, प्रकरण कमांक 26/अ–6/2014–15.

—

1–सोमला पिता गुमान भीलाला
2–ईडा पिता भावला भीलाला
3–भुवानसिंह पिता गुमान भीलाला
4–कनसिंह पिता गुमान भीलाला
5–अनसिंह पिता भुवान भीलाला
सभी निवासीगण सालीटांडा तहसील राजपुर
जिला बडवानी

.....आवेदकगण

विरूद्ध

बंशीलाल पिता भूरला भीलाला
निवासी साली टांडा तहसील राजपुर
जिला बडवानी

.....अनावेदक

श्री बी0के0गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/4/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील राजपुर जिला बडवानी द्वारा पारित आदेश 5–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार राजपुर जिला बडवानी के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत ग्राम सालीटांडा स्थित भूमि सर्वे कमांक 79/2 व 88/3 रकबा 14.50 एकड़ पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 26/अ–6/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 5–5–16 को अंतरिम आदेश पारित किया जाकर आवेदकगण की आपत्ति निरस्त की गई । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि में सहखातेदार होकर हितबद्ध पक्षकार है, इस बिन्दु पर तहसीलदार द्वारा बिना विचार किये आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है । पंजीकृत विक्रय पत्र नामा से भी साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्ग प्रमाणित करना होता है । यह भी कहा गया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 एवं 68 के अनुसार भी वसीयतनामा को साक्ष्य से प्रमाणित करना होता है और इसी आशय की आपत्ति आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा नहीं होने से आवेदकगण को अपने पक्ष साबित करने का अवसर देना चाहिये था, जो नहीं देने में तहसील न्यायालय द्वारा अन्यायापूर्ण कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों एवं सहखातेदारों को कार्यवाही में न तो किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–5–2016 अवैधानिक एवं अनियमित आदेश होने से निरस्त किया

जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे सभी हितबद्ध व्यक्तियों एवं सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर देते हुये आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर उन्हें प्रतिपरीक्षण का अवसर देते हुये प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील राजपुर जिला बडवानी द्वारा पारित आदेश 5–5–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित करने के लिये तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर.